पंचदश बिहार विधान सभा

तृतीय सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-2 मंगलवार, दिनांक- 19 जुलाई, 2011 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में सभा की बैठक प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.15 बजे पूर्वाह्न तक ।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण (कांग्रेस को छोड़कर) फारबिसगंज की घटना पर दिए गए कार्यस्थगन की सूचना के आलोक में सदन में बहस की मांग करते हुए वेल में आ गये और नारे-बाजी करने लगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बार-बार अनुरोध किया गया कि इस विषय को प्रश्नोत्तर काल के बाद लाया जाय । लेकिन विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी मांग पर अड़े रहे ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भी कार्यमंत्रणा समिति की बैठक का जिक्र करते हुए विपक्ष के माननीय सदस्यों से शांत रहने का अनुरोध किया गया परन्तु सदन में शोर-गुल व्याप्त रहा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय के बार-बार शांत होने और अपने सीट पर जाने के अनुरोध के बावजूद सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सदन की बैठक 11.25 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

(स्थगनोपरान्त)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।

11.25 बजे पूर्वाह्न से 12.20 बजे अपराह्न तक ।

[1] **कार्यस्थगन की सूचना :-**

आसन द्वारा घोषणा की गई कि माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी एवं अन्य सभासदों के कार्यस्थगन सूचना को नियमानुकूल नहीं रहने के कारण अमान्य किया जाता है ।

आसन से यह भी घोषणा की गई कि दलीय नेताओं की बैठक में हुए निर्णय के आलोक में इस विषय को कार्य संचालन नियमावली के नियम-43 के तहत लिया जाता है तथा इसपर विधायी कार्य के बाद सदन में चर्चा की जायेगी ।

[2] **प्रश्नोत्तर काल :**

(i) 01 अल्प सूचित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 03 अल्प सूचित प्रश्न अनागत ।

(iii) 10 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(iv) 68 तारांकित प्रश्न अनागत ।

[3] **शून्यकाल :-**

शून्यकाल की सूचनान्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया :-

(i). श्री विनोद प्रसाद यादव

(ii). श्री विजय कुमार सिंह

(iii). श्री अरूण शंकर प्रसाद

(iv). श्री दिनेश कुमार सिंह

(v). श्री संजय सिंह 'टाइगर'

(vi). श्री प्रदीप कुमार

(vii). श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

(viii). श्री राजकिशोर राय

(ix). श्री कृष्णनन्दन यादव

(x). डॉ० अच्युतानन्द

(xi). श्री जनक सिंह

(xii). श्री सचिन्द्र प्रसाद सिंह

(xiii). श्री दुलालचन्द गोस्वामी

(xiv). श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन

(xv). श्रीमती रंजू गीता

शून्यकाल शुरू होते ही माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा महामहिम राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अपनी अनुमति रोके जाने के विषय को उठाया गया । आसन से कहा गया कि पिछले सत्र में इस विषय पर नियमन दिया गया था, इसलिए पुन: इस विषय को नहीं उठाया जाय ।

[4] **ध्यानाकर्षण सूचना :-**

(i) सर्वश्री अजीत कुमार एवं अन्य सभासदों के स्वास्थ्य विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री अजीत कुमार द्वारा पढ़ा गया तथा इसके उत्तर के लिए सरकार द्वारा समय लिया गया ।

(ii) माननीय सदस्य श्री विनोद नारायण झा के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

[5] **सभा मेज पर कागजातों का रखा जाना :-**

(i) माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 के बजट प्राक्कलन से संबंधित प्राप्ति एवं व्यय के रूझान का चतुर्थ तिमाही परिणाम सदन में उपस्थापित किया गया ।

(ii) माननीय प्रभारी मंत्री मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा पटना विश्वविद्यालय, पटना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 की एक प्रति को सदन पटल पर रखा गया ।

(सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के साथ ही मा० सदस्या श्रीमती ज्योति रश्मि बिजली की मांग को लेकर वेल में आकर बैठ गई । आसन द्वारा बार-बार उन्हें अपने सीट पर जाने के अनुरोध के बावजूद वे वेल में बैठी रहीं ।)

(भोजनावकाश के बाद)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

समय 2.00 बजे अपराह्न से 3.25 बजे अपराह्न तक ।

विधायी कार्य :- राजकीय विधेयक :-

(i) **बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2011 :-**

माननीय मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य सर्वश्री सम्राट चौधरी, दिनेश कुमार सिंह, जाकिर हुसैन खाँ एवं अवधेश कुमार राय द्वारा पुर:स्थापित किए जाने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखा गया । माननीय मंत्री द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ और माननीय मंत्री द्वारा विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के सभी खण्ड बारी-बारी से इसके अंग बने ।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । इसपर माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा अपना विचार रखा गया । माननीय मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर दिया गया । विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

(ii) **बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2011 :-**

माननीय प्रभारी मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत खण्डश: विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा इसपर अपना पक्ष रखा गया । माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया । विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

(iii) **बिहार भूमिगत पाईप लाईन (भूमि में उपयोगकर्त्ता के अधिकार का अर्जन) विधेयक, 2011 :-**

माननीय प्रभारी मंत्री श्री रमई राम द्वारा विधेयक को सदन में पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । माननीय सदस्य श्री सम्राट चौधरी एवं श्री भाई वीरेन्द्र द्वारा प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत खण्डश: विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा इसपर अपना पक्ष रखा गया । माननीय प्रभारी मंत्री एवं माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर दिया गया । विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

(iv) **बिहार नैदानिक स्थापना (नियंत्रण एवं विनियमन) (निरसन) विधेयक, 2011 :-**

माननीय प्रभारी मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा विधेयक को सदन में पुर:स्थापित किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । माननीय सदस्य श्री सम्राट चौधरी एवं डॉ० मो० जावेद द्वारा प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

(v) **बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान और व्यक्ति सुरक्षा विधेयक, 2011 :-**

माननीय प्रभारी मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा विधेयक को सदन में पुरःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । माननीय सदस्य श्री सम्राट चौधरी एवं श्री दुर्गा प्रसाद सिंह द्वारा प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा इसपर अपना पक्ष रखा गया । माननीय प्रभारी मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसका उत्तर दिया गया । विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

[7] **राजकीय संकल्प :-**

माननीय प्रभारी मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि ''यह सभा संकल्प लेती है कि नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 (संख्या-2010 का 23) ठीक उसी रूप में बिहार राज्य में भी लागू किया जाय और राज्य द्वारा अधिसूचित तिथि के प्रभाव से सम्पूर्ण बिहार में लागू हो ।''

सदन द्वारा राजकीय संकल्प ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।

सभा की बैठक 4.00 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

[8] **सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श :-**

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा सामान्य लोकहित के विषय ''अररिया जिलान्तर्गत फारबिशगंज प्रखंड स्थित भजनपुरा गाँव में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए चार व्यक्तियों'' पर वाद-विवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया । वाद-विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

(i). डॉ० इजहार अहमद
(ii). श्री सदानन्द सिंह
(iii). श्री जाकिर हुसैन खाँ
(iv). श्री दुलालचन्द गोस्वामी
(v). श्री अवधेश कुमार राय

वाद-विवाद का उत्तर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया ।

[9] **निवेदन :-**

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि आज के लिए स्वीकृत कुल-04 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जाएँगे ।

तदुपरांत सभा की बैठक बुधवार दिनांक 20.07.2011 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-19.07.2011

गिरीश झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।